

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक GENCOR/28/2024-GAD-13

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07 /02/ 2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिला कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़।

विषय:- ई-ऑफिस क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्र. FINACC-38/1/2024-GAD-13 दिनांक 19.12.2024

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य के समस्त कार्यालय में ई-ऑफिस क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में मंत्रालय के समस्त विभागों में क्रियान्वयन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, एवं संचालनालय, संभाग और जिला स्तरीय कार्यालय में क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

2/ वर्तमान में ई-ऑफिस में फाईल भेजे जाने हेतु 03 विकल्प उपलब्ध है :-

- e-Sign - जिसके अंतर्गत प्रत्येक फाईल को भेजे जाने हेतु आधार One Time Password (OTP) की आवश्यकता होती है।
- Digital Signature Certificate (DSC) - टोकन के माध्य से फाईलों का निराकरण बिना OTP के किया जा सकता है।
- उपरोक्त दो विकल्पों के अतिरिक्त वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा NIC से छुट प्राप्त कर बिना e-sign अथवा DSC के सीधे ही SEND विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। जिसके माध्यम से बिना OTP के फाईल भेजी जा सकती है। परन्तु यह विकल्प 31 मार्च 2025 तक ही उपलब्ध है।

3/ अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में ई-ऑफिस प्रारंभ होने के साथ ही फाईल का कार्य करने वाले समस्त अधिकारी/कर्मचारी का Digital Signature Certificate (DSC) बनवाया जाए। इस संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए कार्यालय में उपलब्ध यथोचित मद से राशि का उपयोग करते हुए कार्यवाही करें।

Signed by

Avinash Champawat

Date: 06-02-2025 17:34:26

(अविनाश चम्पावत)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग